छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 857/2008</u>

1. श्री सुरेश नखत, — *अपीलार्थी*
ग्राम+पोस्ट– डोंगरगॉव,
जिला–राजनांदगॉव (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, बेमेतरा,
जिला–दुर्ग (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 02 जून, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सुरेश नखत द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 13.03.2008 को जन सूचना अधिकारी, कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी, बेमेतरा के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर निर्धारित समयावधि में जानकारी नहीं मिलने के कारण उनके द्वारा दिनांक 21.04.2008 को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई उपरांत दिनांक 05.05.2008 को निःशुल्क जानकारी प्रदान करने के आदेश दिये गये, किन्तु उक्त आदेश के बावजूद भी जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 23.07.2008 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में दिनांक 01.11.2009 को समस्त जानकारी का निःशुल्क निरीक्षण 15 दिवस में कराने और उसके बाद उनसे सूची लेकर राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क देने तथा उससे अधिक की चाहने पर निर्धारित शुल्क जमा कराकर देने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 16.03.2009 को पूर्व आदेशानुसार निरीक्षण नहीं कराने और जानकारी नहीं देने तथा विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी को पॉच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। प्रकरण में अंतिम सुनवाई दिनांक को न तो कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर दिया गया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई के लिए वन परिक्षेत्राधिकारी उपस्थित हुये, बल्कि उन्होंने एक अधीनस्थ वनपाल श्री टी0आर0 डेहरे को भेज दिया, जिनके पास कोई संतोषप्रद उत्तर एवं जानकारी नहीं थी। अपीलार्थी ने बताया कि उन्हें निरीक्षण नहीं कराया गया और न ही जानकारी दी गई। इस प्रकार इस प्रकरण में वन परिक्षेत्राधिकारी का सूचना का अधिकार और उसके अन्तर्गत दिये गये आवेदनों के प्रति लापरवाही और अनुत्तरदायी रवैया स्पष्ट होता है, यहॉ तक कि उन्होंने शास्ति के लिए जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझी। अतः प्रकरण में सूचना नहीं देने के लिए दोषी पाया जाता है और वन परिक्षेत्राधिकारी, बेमेतरा पर राशि पॉच हजार रूपये की शास्ति अधिनियम की धारा–20(1) के अनतर्गत आरोपित की जाती है। साथ ही वन मण्डलाधिकारी, दुर्ग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे वन परिक्षेत्राधिकारी से आयोग के पूर्व आदेशानुसार 15 दिवस के अन्दर संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे और उसके बाद अपीलार्थी से सूची प्राप्त कर राशि 100/– रूपये तक की जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे तथा अधिक की जानकारी चाहने पर निर्धारित शुल्क लेकर दी जावे, क्योंकि मॉगी गई जानकारी अत्यन्त विस्तृत है और पूरी जानकारी देना अधिनियम की धारा–7(9) के अन्तर्गत संभव एवं वांछनिय प्रतीत नहीं होती।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

साथ ही विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 500/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com